निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
<u>आदेश</u>

संo सं०—4बी / लिपिक—02—89 / 2025 पटना, दिनांक—

जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना का ज्ञापांक—1540 / स्था0, दिनाक—28.05.2025 के द्वारा दिनाक—28.05.2025 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर सिविल सर्जन, पटना का पत्रांक—14702, दिनांक—04.12.2025 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर वर्ग—3 (तृतीय वर्ग) समूह—''ग'' (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर स्वीकृत वेतनमान् 5,200—20,200, ग्रेड पे—1,900 / —, लेवल—2 के साथ—साथ सरकार द्वारा समय—समय पर देय अन्य भत्तों क साथ अस्थायी एवं औपबंधिक रूप से निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनुशंसित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अंकित स्वास्थ्य संस्थान में तृतीय वर्ग समूह—''ग'' (निम्नवर्गीय लिपिक) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है:—

क्रम सं0	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी का नाम एवं पता	मृतक सरकारी सेवक का नाम जिनके आश्रित छोटा भाई को नियुक्त किया गया है	पदनाम एवं वेतनमान	पदस्थापित सस्थान का नाम
1	श्री सुधीर कुमार सिन्हा, पिता—स्व0 सुनील कुमार सिन्हा, ग्राम / मुहल्ला—तारणी प्रसाद लेन, घस्यरी गली पश्चिमी दरबाजा पटना सिटी, पो0—झाऊगंज थाना— खाजेकला थाना, प्रखण्ड— पटना सदर, जिला—पटना, पिन—800008	स्व0 सुमित कुमार सिन्हा, भूतपूर्व पुरूष परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता, प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र, सम्पतचक, पटना	समूह—''ग'' (वर्ग—3) (निम्नवर्गीय लिपिक) Pay Matrix Level-2 ग्रेड पे—1,900 / — वेतनमान—5200—20200	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

संबंधित कर्मी को निदेशित है कि पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर नव पदस्थापित संस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करें।

(1) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ—पत्र एव सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओ को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने / चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना की होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी।

(3) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ—पत्र के आधार पर उनके शैक्षणिक एव अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रो के गलत अथवा नियम विरूद्ध पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एव उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना की यह जवाबदेही होगी कि नवपदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिक से उनके शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्रो की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेगे तथा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर सतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का संधारण करेंगे तथा

उक्त प्रमाण पत्रों का जॉच एवं सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से अवगत करायेंगे।

(5) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिवादित वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 एव 768, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार प्राप्त निदेश के आलोक में अभ्यर्थी पर नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

(6) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) योगदान के समय नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(8) अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना द्वारा विभाग से नियुक्ति आदेश संपुष्टि कराने के पश्चात् वेतनादि का भुगतान योगदान की तिथि से किया जायेगा।

(9) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक का प्रथम वेतनादि भुगतान उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों, पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आदि के अंतिम जाँच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(10) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषण पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

ह0/–
(डॉ0 रेखा झा)
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना

ज्ञापांक– 4बी/लिपिक–02–89/2025–184(4.B)**/स्वा0, पटना, दिनांक–**27/02/2026

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री सुधीर कुमार सिन्हा, पिता–स्व0 सुनील कुमार सिन्हा ग्राम/मुहल्ला–तारणी प्रसाद लेन, घस्यरी गली पश्चिमी दरबाजा पटना सिटी, पो0–झाऊगंज थाना–खाजेकला थाना, प्रखण्ड– पटना सदर, जिला–पटना, पिन–800008को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सिविल सर्जन, पटना को उनके पत्रांक–14702, दिनांक–04.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना को उनके ज्ञापांक–1540/स्था0, दिनाक–28.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/26
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना

Pankaj 40